

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

- गणेश पुत्र जीवनराम गुर्जर आयु 20 साल निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज. व अन्य।

बनाम

- श्री जीवणराम पुत्र स्व. भूरा वल्द हुक्मा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

किस्म मुकदमा - धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

दर्ज क्रमांक 210 / 2025

ऑन लाईन नंबर 2025 /

वकील प्रार्थी श्री गोविन्द दास

वकील अप्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28/8/25	यह प्रा. पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री चालक सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रा. पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली तलबी हेतु नियत दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
16/9/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. नोतिशा-दि। किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थागन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 11/11/25 को पेश हो।	
11/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारण पीठासीन अधिकारी के सम्मुख पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते 09/11/25 दिनांक 3/2/26 को पेश हो	
09/11/2026	पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारण की ओर से वकील श्री गिरीश शर्मा वकील श्री 23 की ओर से वकील श्री यशवन्तराव 34 वात्त पत्राव पत्रावली 09/11/2026 को पेश हो	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

C-NO- 21/2015 गणेश एस जीवराज

9/2/15 पत्रावली पेश की आज वाद में हरमल
स्थगित रखा गया पत्रावली दिनांक 18/2/15
का पेश की

16/2/15 पत्रावली पेश की वकील पराकारण अधिका
र्य के द्वारा पत्रावली दिनांक 9/3/2015 का पेश
की
अखण्ड अधिकारी
किसानगढ़

09/3/2016 पत्रावली पेश की वकील पराकारण अधिका
र्य द्वारा उत्तुल गूल वाद में 21/1/2015 अमान
गणेश एस जीवराज खारिज किया जा चुका है
अतः अब उत्तुल गूल वाद को चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। गूल खारिज किया जाता
है पत्रावली पेश की शुमार होने नम्बर में काम
की
अखण्ड अधिकारी
किसानगढ़